२

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

टी.सी.एम.एस. नं. – 2020/00201
प्रार्थना पत्र संख्या 09/2020

दायर दिनांक 13-07-2020

मूलाराम पुत्र नारानाराम जाति गुर्जर निवासी टोंक ढाका की ढाणी तन टोंकछीलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–आवेदक

बनाम

1. नोपाराम पुत्र नारानाराम जाति गुर्जर निवासी टोंक ढाका की ढाणी तन टोंकछीलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. प्रबंधक झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
3. सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 ए रा0का0अधि0

वकील आवेदक– श्री विप्लव पंडित
वकील अनावेदक– एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक 16-04-2021

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम टोंक ढ़ाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछीलरी की सरहद में नई खाता संख्या 57 की भूमि खसरा नम्बर 234 रकबा 0.70 हैक्टर स्थित है, जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी की सरहद में नई खाता संख्या 22 की भूमि खसरा नम्बर 210 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 227 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 2.00 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 4.17 हैक्टर स्थित है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में पहुंच के लिये अप्रार्थी नम्बर 01 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 2.00 मे से रास्ते केलिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।

अप्रार्थी नम्बर 01 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 232 के पूर्व में एक रास्ता ग्राम भोजनगर को जाता है, जो राजस्व रिकार्ड में कटानशुदा दर्ज है, जिसके खसरा नम्बर 510 है, जिसे भी मौके पर बंद कर रखा है, जिसके अलग से कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त कटानशुदा रास्ते के पश्चिम में अप्रार्थी नम्बर 01 की खातेदारी की भूमि के पश्चिम में सटकर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 234 स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 234 ... रास्ता ... है, जिसके कारण प्रार्थी को कई प्रकार की कठिनाईयों व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, प्रार्थी अपनी काश्त की भूमि की काश्त से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

चित है, कृषि उपकरण ट्रेक्टर, ट्रोली व अन्य आवागमन के साधन लाने व ले जाने मे असमर्थ है, इसलिये र्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 234 में पहुंच के लिये कटानशुदा रास्ते से शुरू करके अप्रार्थी म्बर 01 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 232 मे से 15 फीट चौडाई के रास्ते की मांग प्रार्थना पत्र के माध्यम से कर रहा है, जो प्रार्थी को प्रदत्त किया जावे, जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

ग्राम टोंकछीलरी से ग्राम भोजनगर को एक कटानशुदा रास्ता जाता है, उक्त रास्ते के खसरा नम्बर 232 मे से जो दूरी नियरेस्ट व सोरटेस्ट की भूमि हो वहां से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी को अपनी खातदेारी की भूमि खसरा नम्बर 234 में पहुंच के लिये अप्रार्थी संख्या 1 से दिलावाया जावे, जिसके लिये प्रार्थी रास्ते में जाने वाली जमीन के बदले जमीन अथवा डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अप्रार्थी नम्बर 01 को देने के लिये तैयार है।

प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 से सहमति के आधार पर रास्ता देने के लिए बार–बार निवेदन किया है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने रास्ता देना नही चाहता है, रास्ते के लिये स्पष्ट इन्कार होने पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से माननी न्यायलय में पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 234 में पहुंच के लिये प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है, रास्ते की प्रार्थी को आत्यान्तिक आवश्यकता है, इसलिये रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के यहां भूमि रहन होने व अप्रार्थी संख्या 4 न्यायालय के आदेश की पालना के लिये दायित्वधीन है, इसलिये प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया है।

राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछीलरी की सरहद में नई खाता संख्या 57 की भूमि खसरा नम्बर 234 रकबा 0.70 हैक्टर में पहुंच के लिये कटानशुदा रास्ता जो ग्राम भोजनगर को जाता है की पश्चिमी सीमा से शुरू करके अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि जो राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछीलरी की नई खाता सख्या 22 की भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 2.00 हैक्टर में से 15 फीट चौड़ाई नियरेस्ट व सोरटेस्ट हो दिलाया जावे, प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार रास्ते में जाने वाली जमीन के बदले जमीन अथवा डी.एल.सी. की दुगुनी राशि देने के लिये तैयार है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के लिये अप्रार्थी नम्बर 04 को तहरीर जारी करने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत करने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावदेगकगण जारी की गई। अनावेदक नम्बर 01 की ओर से वकील श्री सज्जन कुमार चाहर ने वकालतनामा पेश किया, के पश्चात वकील अनावेदक नम्बर 01 उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अनावेगदकगण नम्बर 2 लगायत 04 की तलबी प्रर्याप्त रूप से होने के बावजूद उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

तत्पश्चात् तहसीलदार नवलगढ से विवादग्रस्त रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार नवलगढ़ ने मौका रिपोर्ट पेश इस प्रकार पेश कि :–

1. खसरा नम्बर 213, 207, 214, 215, 221 रकबा क्रमशः 0.02, 0.10, 0.04, 0.03, 0.02 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 0.21 हैक्टर की खातेदारी ग्राम टोंकढाका की ढाणी जमाबंदी समवत् 2075–2078 में परमेश्वरी देवी, सरोज देवी, पुष्पा, पतासी, जीवणी, सन्तोष, मनेष, नेमीचन्द, सुभाष चंद, गोपाल, मेघराज वारिसान ज्ञानाराम, नोपा पुत्र नारायण, मूलाराम पुत्र नारायण, रामूराम पुत्र नारायण, मंगलार पुत्र लादू जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा खसरा नम्बर 216, 226, 228, 233 रकबा क्रमशः 0.14, 0.05, 0.33, 0.96 किता 04 कुल रकबा 1.48 हैक्टर की खातेदारी मूलाराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 234 रकबा 0.70 की खातेदारी मूलाराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा खसरा नम्बर 210, 212, 223, 227, 229, 230, 231, 232 रकबा क्रमशः ... 0.11, 0.52, 0.67, 0.25, 2.00 हैक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 4.17 हैक्टर की खातेदारी ...राम पुत्र नारायण के नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 510 रकबा 0.30 हैक्टर की खातेदारी राजस्व ग्राम टोंकछीलरी जमाबंदी में शामलाती खातेदार की भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 510 राजस्व रिकार्ड में शामलाती खातेदारी का रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जो कि मौके पर काफी सालो से बंद हैं

2. खसरा नम्बर 506, 498, 499, 504, 507 में वर्तमान मे मौके पर डामर सड़क बनी हुई है जो खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।
3. वर्तमान में खसरा नम्बर 234 में मूलाराम पुत्र नारायणराम आवासीय मकान बनाकर निवास कर रहे है। वर्तमान में खसरा नम्बर 205 व 206 की दक्षिण सीमा से होते हुये खसरा नम्बर 210, 211, 213, 214 व 215 तक राजस्व रिकार्ड में शामलाती खातेदारी का कटाण का रास्ता है वर्तमान उक्त रास्ते से होकर खसरा नम्बर 216, 22, 228, व 233 से होकर खसरा नम्बर 234 तक प्रार्थी मूलाराम पुत्र नारायण राम द्वारा अवागमन किया जा रहा है।
4. खसरा नम्बर 234 की पूर्वी सीमा से खसरा नम्बर 510 शामलाती रास्ता की दूरी 96 मीटर एवं डामर सड़क से 106 मीटर की दूरी पर स्थित है।
5. खसरा नम्बर 510 जो कि शामलाती रास्ता है के पूर्व में डामर सड़क बनने के कारण पूर्व में रास्ते को बंद कर दिया गया। वर्तमान में रास्ता मौके पर चालू नही है।
6. खसरा नम्बर 508 में बनी सड़क से खसरा नम्बर 510 व 267 से 32 मीटर की दूरी पर स्थित है।

रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त होने पर बहस वकील आवेदक (एकपक्षीय) सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र को दोहराया तथा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रास्ता कायम करने का निवेदन किया गया है। बहस तथ्यों पर मनन किया गया। यह तथ्य सही है कि आवेदक के खेत खसरा में आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। तथा तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार भी वैकल्पिक रास्ता होने का तथ्य रिकार्ड पर नही आया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाता है कि ग्राम टोंक ढाका की ढाणी के खसरा नम्बर 510 की पश्चिमी सीमा से खसरा नम्बर 232 की दक्षिणी सीमा से होते हुये खसरा नम्बर 234 की दक्षिणी पूर्वी कोने तक 96 मीटर गुणा 15 फीट चौड़ा गै0मु0 रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि की डी.एल.सी. की दो गुणा राशि जमा होने पर प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता (सिवाय चक) दर्ज करें। डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि अनावेदक को दिलाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested